

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक:प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 143

दिनांक: 07.05.2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 1241-98 दिनांक 14.03.2022, में कार्यालयाध्यक्षों को Revolving Fund के संबंध में GF&AR/RTPP Act के प्रावधानों के तहत अपनाये जाने के संबंध में जारी दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 01 को विलोपित किया जाता है।



(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/आहरण एवम वितरण अधिकारी
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
- ✓ 5. प्रभारी अधिकारी, CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
6. रक्षित पत्रावली



(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक